

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0015 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/01/2024 17:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 30/11/2023 Date To (दिनांक तक): 23/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 17:32 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/01/2024 Time (समय): 11:40 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/01/2024 17:20:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 450 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): Pratapgarh

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Udyapal Singh Sisodiya

(b) Father's Name (पिता का नाम): Gopal Singh ji

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1979

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Suncity Colony, Dhariyawad Road, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Gyaspur, Pratapgarh, DEVGARH, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

91-9928145522

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Aashutosh Suthar		पिता:Ramesh Chander Suthar	1. D4,Jawahar Nager Ashok Nager,PRATAPGARH,PRATAPGARH,RAJASTHAN,302004,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,30,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जीभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ (राज.)विषय : - कानूनी कार्यवाही चाहने बाबत् । महोदय जी, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि "मेरी फर्म बाणेश्वरी कन्स्ट्रक्शन के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगलाट में विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष व कक्षा-कक्ष के निर्माण कार्य का जरिये निविदा टेण्डर समसा डिपार्टमेन्ट प्रतापगढ ब्लॉक अरनोद के द्वारा किया था जिसमें तृतीय रनिंग बिल पास होने के उपरान्त समसा जे.ई.एन. श्री आशुतोष सुथार के द्वारा 57000/- रूपये स्वयं के लिये तथा सम्पूर्ण राशि 81,96,565/- रूपये का 1.5 प्रतिशत के हिसाब से जयपुर के उच्चाधिकारियों के नाम से स्वयं का जयपुर जाने का खर्चा जोडकर 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रूपये) की रिश्वत की मांग कर रहा है तथा अन्य तरीके से ओर अडचन लगाकर इनके अलावा भी ओर रूपये की मांग कर रहा है, बिना रूपये दिये वह मेरा कोई भी बिल पास नहीं करेगा मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं । मेरी उक्त जे.ई.एन. श्री आशुतोष सुथार से कोई रंजिश व द्वेषता नहीं है न ही कोई उधार के रूपये पैसों का लेन-देन बकाया है । रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें" ।दिनांक 30.11.2023 एस.डी/- उदयपाल सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह ग्राम ग्यासपुर तहसील व जिला प्रतापगढ(हा. मुकाम सनसिटी कॉलोनी धरियवद रोड प्रतापगढ9928145522

---कार्यवाही पुलिस---कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ आज दिनांक 30.11.2023 को प्रातः 10.30 बजे एसीबी ओ.पी प्रतापगढ पर श्री उदय सिंह ने यह हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की साथ ही निवेदन किया कि यह अधिकारी अत्यन्त चालाक है अतः यह स्थानीय स्टाफ को पहचानता है कार्यवाही की संभावना हो जाती है खतम अतः बाहर का कर्मचारी ही मेरे साथ रखें । रिश्वत मांग सत्यापन किया जाना आवश्यक है । अतः परिवादी को हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह का मोबाईल नम्बर देकर उनसे वॉट्स-अप पर वार्ता करवाकर अग्रिम कार्यवाही के लिये भली भांती समझाईष की, परिवादी को गोपनियता तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु समझाईष की वर्क आर्डर तथा कार्य से जुडे दस्तावेज परिवादी ने पेश किये जिन्हें शामील पत्रावली किया गया । श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को परिवादी का मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर स्थिति के अनुसार मौके पर पहुंचकर सत्यापन के निर्देश दिये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इतर राजकार्य में मषरूफ हुआ प्रकरण में सत्यापन के बाद अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । इसके बाद दिनांक 11.12.2023 को समय करीब 04.00 पी.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0, श्री श्यामलाल हैड कानि0 कार्यालय में मौजूद है । मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवकाश से लौटा। श्री जितेन्द्र सिंह ने विस्तृत विवरण जो दिनांक 05.12.2023 को मेरे को मोबाईल फोन पर बता दिये थे पुनः अवगत कराया कि आरोपी श्री आषुतोष 1.30 लाख रूपये की डिमाण्ड कर रहा है । श्री श्यामलाल हैड कानि0 ने मालखाने से डी.वी.आर. पेश किया रिकॉर्डिंग को सुना गया । रिश्वत राशि मांग सत्यापन स्पष्ट है, परिवादी से फोन पर (वॉट्स-अप) वार्ता की गई परिवादी को हिदायत दी की जैसे ही आरोपी का फोन रिश्वत बाबत् आये तो हमें अवगत करा दें। डी.वी.आर. सुरक्षित मालखाने में रखवाया ।तत्पश्चात् दिनांक 22.12.2023 को समय करीब 11.00 ए. एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने बताया कि परिवादी से वार्ता हो रही है । अब तक आरोपी ने नहीं बुलाया है । इसके उपरान्त दिनांक 03.01.2024 को समय करीब 11.00 ए. एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने बताया कि परिवादी से वार्ता हो रही है । अब तक आरोपी ने नहीं बुलाया है । इसके बाद दिनांक 09.01.2024 को समय करीब 11.00 ए. एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने बताया कि परिवादी से वार्ता हो रही है । अब तक आरोपी ने नहीं बुलाया है । इसके उपरान्त दिनांक 18.01.2024 समय 11.00 ए. एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है जिस पर उन्होने बताया कि परिवादी से वार्ता हुई है, परिवादी ने बताया कि आरोपी से उसकी मुलाकात अभी हुई है उसने सप्ताह भर में आने के लिये बोला है । परिवादी ने बताया कि आरोपी अधिकतर समय में मोबाईल बन्द रखता है साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अभी तमाम प्रकार के भुगतान पर रोक लगा रखी है जैसे ही कॉल करेगा मैं आपको बता दूंगा । तत्पश्चात् दिनांक 22.01.2024 को समय करीब 05.00 पी.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी का फोन आया है, परिवादी को कल दिनांक 23.01.2024 को आरोपी ने रिश्वत राशि लेकर बुलाया है । कार्यवाही की पूर्ण संभावना बन गई है । अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से श्री सुनील कुमार कानि0 को जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) चित्तौडगढ के नाम तहरीर देकर कल दिनांक

23.01.2023 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु रवाना किया गया जिस पर समय करीब 06.00 पी.एम. पर श्री सुनील कुमार कानि0 दो स्वतन्त्र गवाह के नाम तहरीर की कार्यालय प्रति पर आदेश लेकर उपस्थित आया। तहरीर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 23.01.2024 को समय करीब 09.30 ए.एम. जरिये तहरीर तलविदा दो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये हैं जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो एक गवाह ने अपना नाम श्री सुर्यकान्त सैनी पुत्र श्री केसरदेव सिंह सैनी उम्र 39 साल जाति माली निवासी ग्राम रतन शहर, पोस्ट इस्लामपुर, पुलिस थाना बग्गड, तहसील व जिला झुन्झुनू हाल व्याख्याता (इतिहास), पी. एम. श्री महात्मा गांधी, राजकीय सिनियर सैकण्डरी स्कूल, स्टेशन चित्तौडगढ व दुसरे ने अपना नाम श्री भरत कुमार भाटी पुत्र श्री विजय सिंह भाटी उम्र 29 साल जाति माली निवासी खेजडा गली, नया दरवाजा, पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बडौदिया, ब्लॉक एवं जिला चित्तौडगढ होना बताया। दोनो गवाहों को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके उपरान्त समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यकान्त सैनी व्याख्याता, श्री भरत कुमार भाटी, कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री ओमप्रकाश शर्मा स.उ.नि. मय सरकारी वाहन टवेरा आर जे. 14 युसी 8792 मय चालक श्री धनराज कानि. चालक नं.502 मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक स्टेपनरी के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री दलपत सिंह ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0, श्री श्यामलाल हैड कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि., श्री सुनिल कुमार कानि. मय सरकारी वाहन टवेरा आर.जे. 14 यूबी 8592 मय चालक श्री शेर सिंह के बजानिब कार्यवाही हेतु प्रतापगढ के लिये दोनो वाहन से हम सभी साथ-साथ रवाना हुए होकर समय करीब 12.35 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय हमराहीयान के दोनों सरकारी वाहनों से उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना शुदा भ्र.नि.कार्यालय प्रतापगढ पहुचें। जंहा पर श्री उदयपाल सिंह उपस्थित मिला। परिवादी का दोनो स्वतन्त्र गवाहन से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 30.11.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखया व पढाया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.12.2023 जो की कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड की हुई हैं जिसे चालु कर वार्ता के मुख्य अषं दोनो गवाहन को सुनाया गया तो दोनो गवाहान के द्वारा भी रिष्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। दोनो गवाहन द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमती प्रदान की। परिवादी द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी आषुतोष जी जेईएन से बात हुई थी तो उन्होने मुझ आज 4.15 पीएम पर अपने कार्यालय में मिलने हेतु बुलाया। इसके पश्चात् समय करीब 01.00 पी.एम. स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में, दिनांक 05.12.2023 को समय करीब 3.52 पी.एम. पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक षिक्षा अधिकारी समग्र षिक्षा अभियान प्रतापगढ पर आरोपी श्री आषुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता समग्र षिक्षा अभियान प्रतापगढ की परिवादी श्री उदयपाल सिंह से हुई रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हेड कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये इसके उपरान्त समय करीब 03.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री आषुतोष सुथार, कनिष्ठ अभियन्ता को रिष्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी उदयपाल सिंह को पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 260 नोट कुल 1,30,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये उक्त नोटो के नम्बर निम्नानुसार है :

1. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
6 AM 817025
2. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
5 NT 557343
3. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
8 HT 765280
4. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
6 KU 441147
5. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
0 PB 573773
6. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
8 LP 566390
7. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
5 AU 287529

15. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 BC 051844
16. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 ET 802812
17. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 DH 748554
18. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 FB 326559
19. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 DK 907944
20. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 NE 160110
21. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 PT 334313
22. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 HA 453273
23. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 DT 702164
24. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 LD 322901
25. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 EC 622972
26. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 AG 503063
27. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
3 CS 370466
28. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 SQ 036093
29. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 LM 028924
30. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 KQ 024982
31. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
3 AU 501488
32. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 PP 876634
33. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 AV 277485
34. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 FG 648814
35. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 SP 854409
36. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 BV 255905
37. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 CQ 676729
38. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
3 TF 945538

63. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 CG 589933
64. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 CT 260702
65. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 BF 030273
66. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 VU 919904
67. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 KR 335750
68. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 DP 545163
69. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 EU 460314
70. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 UU 285416
71. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
3 FM 348974
72. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 AV 497087
73. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 GD 111651
74. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
3 MT 262029
75. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 CP 121419
76. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 KG 029661
77. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 GP 320681
78. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 NR 580710
79. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 FK 109358
80. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 BC 659110
81. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 DM 429701
82. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 SC 953845
83. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 ET 166047
84. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 VL 127094
85. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 FN 002903
86. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 UG 289112

111. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 MK 178581
112. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 QD 239648
113. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 AS 563896
114. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 FU 639532
115. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 LL 732687
116. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 TU 899471
117. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 NE 779766
118. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 VF 870285
119. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 RS 944621
120. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 RD 162876
121. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 CG 920709
122. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 PL 753687
123. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 SR 062199
124. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 CR 616108
125. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 HG 558014
126. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 BB 709927
127. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 LK 077416
128. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 EH 288850
129. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 BE 727440
130. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 HV 762922
131. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 AN 239349
132. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 SQ 112241
133. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 EF 809659
134. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 HS 049540

159. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 LC 770068
160. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 EV 175822
161. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 EU 105691
162. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 CT 980817
163. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 QC 171014
164. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 KC 700821
165. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 WF 876136
166. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 HB 120009
167. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 GA 797976
168. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 EQ 852575
169. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 TB 648793
170. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 KM 505980
171. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 QK 662484
172. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 UC 054075
173. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 SQ 740509
174. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 KN 755598
175. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 UC 625535
176. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 DW 028196
177. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 EG 432622
178. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
3 RQ 461917
179. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 TF 206925
180. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
8 EN 591688
181. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 WS 448152
182. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 DM 563943

207. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 QV 937241
208. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 FW 497491
209. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 KE 461400
210. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 TF 038745
211. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 BM 703912
212. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 AT 824120
213. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 MP 515738
214. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 DG 903547
215. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
0 VL 785113
216. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 MT 316561
217. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 BU 161557
218. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 DV 052914
219. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
1 EV 105645
220. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
7 QT 950401
221. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 TA 911641
222. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 GV 203427
223. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
2 MQ 760657
224. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 SW 748937
225. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 SM 518768
226. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
6 RM 629127
227. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
9 SF 527550
228. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
4 VE 635914
229. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
5 RP 757353
230. एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी
3 SQ 987540

255. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
3 FV 961153
256. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
7 LC 249791
257. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
1 ES 208563
258. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
4 DE 639776
259. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
0 AS 585889
260. एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी
4 DE 639778

परिवादी श्री उदयपाल सिंह द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री धनराज मीणा कानि0 चालक नम्बर 502 से सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14. यू.सी. 8792 के डेस्कबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री उदयपाल सिंह की पहनी हुई पेन्ट के दाहिनी साईड की जेब में कोई शै: नही छोड़ते हुए श्री धनराज मीणा कानि0 चालक नम्बर 502 से रखवाई गई। श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 से एक साफ काँच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री धनराज मीणा कानि0 चालक नम्बर 502 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री धनराज मीणा कानि0 चालक नम्बर 502 से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14. यू.सी. 8792 के डेस्कबोर्ड में रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फ़ैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री धनराज मीणा कानि0 चालक नम्बर 502 को हिदायत दी गई कि वह सरकारी वाहन में ही बैठा रहे। उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तीब कर दोनो परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। इसके उपरान्त समय करीब 05.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री भरत कुमार भाटी, कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप पार्टी के सदस्य मय सरकारी वाहन टवेरा आर जे. 14 युसी 8792 मय चालक श्री धनराज कानि.चालक नं. 502 के कार्यालय ब्लॉक शिक्षाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान प्रतापगढ़ के लिये रवाना होते हुये आगे-आगे परिवादी श्री उदयपाल सिंह को उसके निजी वाहन के हमराह श्री ओमप्रकाश शर्मा स.उ.नि., श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि., श्री सुनिल कुमार कानि., स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यकान्त सैनी व्याख्याता के व ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री दलपत सिंह ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0, श्री श्यामलाल हैड कानि0, मय सरकारी वाहन टवेरा आर.जे.14

शिक्षाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान प्रतापगढ़ के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारों के इन्तजार करने लगे। इसके पश्चात् समय करीब 06.15 पी.एम. पर परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया ने राजकीय प्राथमिक विधालय नम्बर 03, नगर पालिका प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ के परिसर के अन्दर खड़ी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार के बाहर खड़े होकर अपने सिर पर हाथ फैरकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा समय करीब 05.32 पी.एम. पर किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ने देखकर हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण तेज-तेज कदमों से चलते हुए परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया के पास पहुंचे तो परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया ने हाथ से ईशारा कर बताया कि इसी स्विफ्ट डिजायर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए श्री आशुतोष जी सुथार कनिष्ठ अभियन्ता है जिन्होंने अभी-अभी मेरे से रिश्त राशि मांग कर अपने हाथों में लेकर अपनी कार के डेस्कबोर्ड में मेरे सामने रखी है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ने स्विफ्ट डिजायर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को ईशारा कर कांच उतारने एवं कार का ड्राइविंग साईड का गेट/फाटक को खालेने का ईशारा किया जिस पर श्री आशुतोष जी सुथार कनिष्ठ अभियन्ता ने कार की फाटक का लॉक खोला जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आशुतोष सुथार पुत्र श्री रमेश चन्द्र सुथार जाति खाती उम्र 48 साल निवासी ग्राम बारावरदा पुलिस थाना धमोत्तर तहसील व जिला प्रतापगढ़ हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी. बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ़ होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया की ओर ईशारा कर पूछा कि अभी-अभी इनसे 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रुपये) किस बात के लिये है एवं इनको कब से जानते हो और ये क्या काम करते है, और आपके पास इनका क्या पैण्डिंग है, जिस पर आरोपी श्री आशुतोष कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मेरे पास अभी-अभी श्री उदयपाल सिंह जी सिसोदिया जो फर्म मैसर्स बाणेश्वरी कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ से पंजीयन शुदा संवेदक/कॉन्ट्रैक्टर है जिनका वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय हिंगलाट, ब्लॉक अरनोद जिला प्रतापगढ़ की विधालय बिल्डींग का कन्स्ट्रक्शन का कार्य किया है जिसके कार्य का कूल 81.92 लाख रुपये का कार्यदेश हुए थे जिनके तीन रनिंग बिल का भुगतान श्री उदयपाल सिंह जी सिसोदिया की फर्म को कर दिया गया है और शेष राशि का अन्तिम बिल बनाना था, आज अभी मेरे को 1,30,000 (एक लाख तीस हजार रुपये) दिये थे जिनमें 500-500 रुपये की तीन गड्डीयां देते हुए श्री उदयपाल सिंह जी ने कहा कि यह आपका पूरा कमीशन है, अब मेरा अन्तिम भुगतान का बिल बनाने की कहकर दिये थे जो मैंने अपनी गाडी में बैठे हुए लेकर गाडी के डेस्कबोर्ड में रखे है जिसको मैंने गिना भी नहीं है, मेरे पास श्री उदयपाल सिंह जी सिसोदिया फर्म प्रोपराईटर का अन्तिम बिल बनाकर भुगतान किया जाना शेष है। मैं यह राशि मेरे लिये नहीं ली है, यह राशि तो उच्चाधिकारियों को देने के लिये कूल बिल की 1.5 प्रतिशत के हिसाब से श्री उदयपाल सिंह जी सिसोदिया को मैंने दिनांक 05.12.2023 को बताई थी तथा उस दिन मुझे मेरा कमीशन 50,000 (पचास हजार रुपये) तो श्री उदयपाल सिंह जी सिसोदिया ने मुझे दे दिया था आज तो इन्होंने मुझे उपर के अधिकारियों को देने के लिये दिया है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया से पूछा तो परिवादी ने आरोपी श्री आशुतोष कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि मेरी फर्म के मार्फत राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय हिंगलाट, ब्लॉक अरनोद जिला प्रतापगढ़ की विधालय बिल्डींग के कार्य आदेश की राशि 81,96,565 लाख रुपये का हुआ था जिस पर मेरे द्वारा लगभग 81.96 लाख रुपये का कार्य मेरी फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कर दिया गया है जिनके रनिंग बिल दिनांक 16.02.2023 को लगभग 18.30 लाख रुपये एवं दिनांक 03.07.2023 को लगभग 24.90 लाख रुपये एवं दिपावली के पहले लगभग 17 लाख रुपये का भुगतान मुझे पूर्व में किया गया एवं अन्तिम शेष राशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा श्री आशुतोष जी कनिष्ठ अभियन्ता को कहा तो इन्होंने मेरे से काफी बड़ी रकम मांगने पर मेरे द्वारा दिनांक 30.11.2023 को ब्यूरो में शिकायत करने पर दिनांक 05.12.2023 को रिश्त राशि मांग सत्यापन कराया गया था तो दौराने सत्यापन श्री आशुतोष कनिष्ठ अभियन्ता ने अपना कमीशन 57,000 रुपये मांगने पर मैंने इनको 50000 रुपये दिया था और मुझे कहा कि उच्चाधिकारियों का कमीशन भी कूल लागत राशि का 1.5 प्रतिशत के हिसाब से 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रुपये) देना तय हुआ था। उक्त राशि दौराने मांग सत्यापन रिश्त राशि के अनुसार आज मुझे 04-04.30 पी.एम. पर राशि लेकर बुलाया था जो मैं इनकी मांग अनुसार 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रुपये) लेकर इनके कार्यालय में आया तो, इन्होंने मुझे बाहर ले जाकर इनकी स्विफ्ट डिजायर कार बरंग सफेद जो इनके कार्यालय के पास विधालय परिसर में खड़ी कार में ड्राइविंग सीट पर कनिष्ठ अभियन्ता साहब बैठे और मुझे इनके पास की बांयी साईड की सीट आगे पर मुझे बैठाकर मेरे से रिश्त राशि मांगने पर मैंने मेरी पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब से रिश्त राशि के रूप में दी जाने वाली राशि 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रुपये) को निकालकर इनके हाथों में दी जो इन्होंने गाडी के डेस्कबोर्ड में मेरे समक्ष रखी। इसके पश्चात् मैंने ट्रेप पार्टी को पूर्व निर्धारित ईशारा किया तथा मेरा अन्तिम शेष राशि का बिल इनके पास पैण्डिंग पडा हुआ है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों एवं पुनः रिश्वत राशि लिये जाने के सम्बन्ध में आरोपी श्री आशुतोष कनिष्ठ अभियन्ता से पूछा तो आरोपी श्री आशुतोष कनिष्ठ अभियन्ता ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैंने यह सम्पूर्ण रिश्वत राशि मेरे स्वयं के लिये नहीं ली है, उपर तक यानि जयपुर मुख्यालय स्तर पर भी जे.ई.एन., ए.ई.एन. एवं मुख्य अभियन्ता राजस्थान जयपुर को देने के लिये है, इस राशि मे से मेरे को तो 10-15 हजार रूपये ही मिलते और शेष सम्पूर्ण राशि उपर के अधिकारियों को देने के लिये मांगे और लिये है। मेरे से गलती हो गई है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आईन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता से उसके जयपुर स्थित मुख्यालय के अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर बात करने के सम्बन्ध में कहा तो आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता ने अपने मोबाईल नम्बर 96103-92863 से श्री प्रेमान्शु सहायक अभियन्ता कार्यालय आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के मोबाईल नम्बर 94140-05538 पर दो बार कॉल किया परन्तु कॉल को रिसीव नहीं किया गया फिर आरोपी के मोबाईल नम्बर 96103-92863 से श्री प्रेमान्शु सहायक अभियन्ता कार्यालय आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के मोबाईल नम्बर 94140-05538 पर वॉट्स-अप कॉल करवाया गया तो परन्तु उसको भी नहीं रिसीव किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी से अन्य उच्चाधिकारियों से उक्त रिश्वत राशि के सम्बन्ध वार्ता करने हेतु कहा तो आरोपी ने मना करते हुए बताया कि हमारी आपस में मोबाईल पर कोई बात नहीं होती है और अभी भी जो जयपुर के सहायक अभियन्ता है जिसको मैंने साधारण कॉल एवं वॉट्स-अप कॉल किया है परन्तु वो कॉल नहीं उठायेगें जयपुर जब भी मैं जाता हूँ तो उनको मैं मेरा कमीशन जो लेता हूँ वो श्री प्रेमान्शु सहायक अभियन्ता कार्यालय आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को देता हूँ फिर उनके द्वारा जयपुर स्थित उच्चाधिकारियों को दिया जाता है। इसके पश्चात् आरोपी द्वारा परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया से रिश्वत राशि ग्रहण करने का उचित संदेह होने से आरोपी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। दोनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ प्लास्टिक के बड़े डिस्पोजल के गिलास निकाल कर उन्हें साफ पानी से धुलवाकर साफ पानी भरवाकर दोनो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता के दोनो हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे को बारी-बारी से अलग-अलग गिलासों के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया एवं बायें हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाँईदार हो गया जिसे गवाहान ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को 04 कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर मार्क आर.एच.-1 एवं आर.एच.-2, मार्क एल.एच.-1 एवं एल.एच.-2 अंकित कर सीलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई तथा मौके पर ही दोनो प्लास्टिक के बड़े डिस्पोजल गिलास को गवाहान के समक्ष जलाकर नष्ट किया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता की स्विफ्ट डिजायर कार बरंग सफेद नम्बर आर.जे. 09. सी.बी. 0061 के अन्दर बने हुए डेस्कबोर्ड में रखी हुई रिश्वत राशि परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया की निशादेही से गवाह श्री सुर्यकान्त सैनी से निकलवाई गई जिन्हें दोनो गवाहान से गिनवाया तो 500-500 के 260 नोट कुल 1,30,000 रूपये होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाहों से उक्त राशि के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बरों का मिलान हूबहू होना पाया गया। नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर करवाने के पश्चात् उपरोक्त बरामदशुदा नोटो पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिल्ड कर आरोपी, परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिए गये। इसके उपरान्त आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता की जामा तलाशी लिवाई गई तो रिश्वत राशि के अलावा वक्त ट्रेप पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में रखी हुई राशि 11270 रूपये मिलें जिसके सम्बन्ध में आरोपी को पूछा तो आरोपी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा कितनी राशि है के सम्बन्ध में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। अतः उक्त राशि संदिग्ध मानते हुए वजह सबूत जब्त की गई जिसकी फर्द पृथक से मुर्तीब की जावेगी। इसी प्रकार एक साफ प्लास्टिक के बड़े डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बाँकस से निकाल कर उसे साफ पानी से धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता की स्विफ्ट डिजायर कार बरंग सफेद नम्बर आर.जे. 09. सी.बी. 0061 के अन्दर बने हुए डेस्कबोर्ड में रखी हुई रिश्वत राशि परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया की निशादेही द्वारा डेस्कबोर्ड को खोलकर गवाह श्री सुर्यकान्त सैनी से साफ रूई का फोहा को रंगहीन घोल में डूबोकर गीला कर रिश्वत राशि रखी हुई से सम्बन्धित स्थान पर रगडकर उक्त रंगहीन गिलास के घोल में धुलवाया गया तो डेस्कबोर्ड के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे गवाहान ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को 02 कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर मार्क डी.-01 एवं डी.-02 अंकित कर सीलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई तथा मौके पर ही प्लास्टिक के बड़े डिस्पोजल गिलास को गवाहान के समक्ष जलाकर नष्ट किया गया तथा आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता की निजी स्विफ्ट डिजायर कार बरंग सफेद नम्बर आर.जे. 09. सी.बी. 0061 में रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त स्विफ्ट डिजायर कार को वजह सबूत जब्त की गई जिसकी फर्द जब्ती पृथक से मुर्तीब की जावेगी तथा उक्त स्विफ्ट डिजायर कार को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ में सुरक्षित रखवाई जावेगी

।उपरोक्त हाथ धुलाई एवं बरामदगी घटनास्थल पर मौके पर राजकीय प्राथमिक विधालय नम्बर 03 नगर पालिका प्रतापगढ जिला प्रतापगढ में की गई तथा बाद में सुरक्षा की दृष्टि से एवं समय संध्याकाल का होने से आरोपी को हमराह ट्रेप पार्टी के साथ लेकर पास ही स्थित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान ब्लॉक प्रतापगढ के अन्दर प्रवेश किया तथा आरोपी द्वारा अस्थाई रूप से जिस कार्यालय कक्ष में कार्य करता है उस कक्ष में आरोपी के बताये अनुसार आये व अग्रिम शेष कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता से परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया प्रोपराईटर फर्म मैसर्स बाणेश्वरी कन्स्ट्रक्शन द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय हिंगलाट, ब्लॉक अरनोद जिला प्रतापगढ की विधालय बिल्डींग की टेण्डर पत्रावली एवं बिल वाउचर से सम्बन्धित पत्रावली को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता ने अपने पास कुछ बिल एवं फोटोग्राफ्स से सम्बन्धित दस्तावेजात् प्रस्तुत करते बताया कि अभी मेरे पास यही दस्तावेजात् है तथा टेण्डर की पत्रावली एवं बिल वाउचर से सम्बन्धित पत्रावली मेरे कार्यालय अरनोद जिला प्रतापगढ के कार्यालय कक्ष में पडी हुई है जो बाद में प्रस्तुत कर दूंगा। आरोपी द्वारा अभी मौके पर प्रस्तुत दस्तावेजात् की छायाप्रतियां प्राप्त कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शमील कार्यवाही की गई एवं शेष रिकॉर्ड पृथक से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढी जरिये लेपटॉप मौके पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ में बैठकर की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 07.15 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री उदयपाल सिंह की उपस्थिति में, आज दिनांक 23.01.2024 को समय करीब 5.27 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियता, से रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आमने-सामने रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 07.45 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा (1) दिनांक 05.12.2023 को समय करीब 3.52 पी.एम. पर परिवादी श्री उदयपाल सिंह एवं एवं आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियता, के मध्य आमने-सामने रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, तथा (2) आज दिनांक 23.01.2024 को समय करीब 5.27 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियता, से रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आमने-सामने रूबरू हुई वार्ताओं से सम्बन्धित उपरोक्त 02 वार्तायें जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त दोनों वार्ताओ की 03 डिविडियां श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई गई जिसमें से एक डिविडि आरोपी, एक डिविडि नमूना आवाज हेतु, एक डिविडि अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार कर उक्त सभी डिविडियां पर स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। अनुसंधान अधिकारी की डिविडि को खुला रखा गया तथा शेष 02 डिविडियां को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में रखवा सीलचीट कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् समय करीब 08.10 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा (1) दिनांक 05.12.2023 को समय करीब 3.52 पी.एम. पर परिवादी श्री उदयपाल सिंह एवं एवं आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियता, के मध्य आमने-सामने रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, तथा (2) आज दिनांक 23.01.2024 को समय करीब 5.27 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियता, से रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आमने-सामने रूबरू हुई वार्ताओं से सम्बन्धित उपरोक्त 02 वार्तायें जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त दोनों वार्ताओ की 02 ऑडियो फाईल्स को ए-डेटा कम्पनी के 16 जी.बी. पेन ड्राईव स्टील में सेव किया जाकर उक्त पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे में डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड कर मार्क "पी." अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगण एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 08.20 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा (1) दिनांक 05.12.2023 को समय करीब 3.52 पी.एम. पर परिवादी श्री उदयपाल सिंह एवं एवं आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियता, के मध्य आमने-सामने रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, तथा (2) आज दिनांक 23.01.2024 को समय करीब 5.27 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियता, से रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आमने-सामने रूबरू हुई वार्ताओं से सम्बन्धित उपरोक्त 02 वार्तायें जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। उक्त सरकारी ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे में डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड कर मार्क "M-1." अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08.45 पी.एम. पर मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मोक़े की कार्यवाही पूर्ण कर जब्त शुदा समस्त सीलचिट आईटम धोवण की शीषीयां, जब्त शुदा रिश्वत राशि, डिविडियां, पेन ड्राईव, मेमोरी कार्ड इत्यादि साथ लेकर मय दोनों स्वतन्त्र गवाह, आरोपी श्री आषुतोष सुथार एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य मय ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, स्टेपनरी जरिये सरकारी वाहनों से आरोपी श्री आषुतोष सुथार के रिहायसी आवास मकान नम्बर डी.-04, जवाहर नगर (अशोक नगर) राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापगढ के सामने प्रतापगढ की खाना तलाषी लेने हेतु रवाना होते हुऐ साथ-साथ आरोपी श्री आषुतोष सुथार की स्विफ्ट डिजायर कार नम्बर आर.जे. 09 सी.बी.0061 को भी श्री सुनिल कुमार कानि. द्वारा चला कर रवाना हुऐ। इसके उपरान्त समय करीब 09.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मय सभी हमराहीयान के आरोपी श्री आषुतोष सुथार के रिहायसी आवास मकान नम्बर डी.-04, जवाहर नगर (अशोक नगर) राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापगढ के सामने प्रतापगढ पर पहुंचा तथा धारा 165 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत नियमानुसार खाना तलाषी ली जाकर फर्द खाना तलाषी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 10.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू आरोपी श्री आषुतोष सुथार के रिहायसी आवास मकान नम्बर डी.-04, जवाहर नगर (अशोक नगर) राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापगढ के सामने प्रतापगढ की खाना तलाषी लेने के उपरान्त जब्त शुदा समस्त सीलचिट आईटम धोवण की शीषीयां, जब्त शुदा रिश्वत राशि, डिविडियां, पेन ड्राईव, मेमोरी कार्ड इत्यादि साथ लेकर मय दोनों स्वतन्त्र गवाह, आरोपी श्री आषुतोष सुथार एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य मय ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, स्टेपनरी जरिये सरकारी वाहनों से आरोपी श्री आषुतोष सुथार के रिहायसी आवास मकान नम्बर डी.-04, जवाहर नगर (अशोक नगर) राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापगढ के सामने प्रतापगढ से रवाना होते हुऐ साथ-साथ आरोप श्री आषुतोष सुथार की स्विफ्ट डिजायर कार नम्बर आर.जे. 09 सी.बी.0061 को भी श्री सुनिल कुमार कानि. द्वारा चला कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ रवाना होकर समय करीब 10.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा समस्त हमराहीयान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ पर पहुंचा। जब्त शुदा समस्त सीलचिट आईटम धोवण की शीषीयां, जब्त शुदा रिश्वत राशि, सीडियां, पेन ड्राईव, मेमोरी कार्ड इत्यादि को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके बाद समय करीब 10.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री आशुतोष सुथार पुत्र श्री रमेश चन्द्र सुथार जाति खाती उम्र 48 साल निवासी ग्राम बारावरदा पुलिस थाना धमोत्तर तहसील व जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ को परिवारी श्री उदयपाल सिंह से 1,30,000 रूपये की रिश्वत राशि लिये जाने के आरोपी को उसके उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत कराया जाकर हस्वकायदा गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के चचेरे भाई श्री नवीन कुमार सुथार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता की गिरफ्तारी की सूचना उससे सम्बन्धित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ के नाम पत्र जारी कर पृथक से प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 11.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ की स्विफ्ट डिजायर कार वी.डी.आई. मारूती सुजुकी कम्पनी, डीजल, मॉडल नम्बर नवम्बर 2013 बरंग सफेद नम्बर आर.जे. 09. सी.बी. 0061 के अन्दर डेस्कबोर्ड में रखी हुई रिश्वत राशि 1,30,000/- रूपये बरामद होने से उक्त स्विफ्ट डिजायर कार वी.डी.आई. को वजह सबूत जब्त किया गया। फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त समय करीब 11.15 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता की दौरान ट्रेप कार्यवाही जामा तलाशी में पहनी हुई पेन्ट की पेन्ट सामने की दाहिनी जेब में मिली राशि 11270 रूपये के सम्बन्ध में आरोपी श्री आशुतोष सुथार, कनिष्ठ अभियन्ता को पूछने पर आरोपी द्वारा कोई भी प्रत्युत्तर एवं सन्तोषप्रद जवाब नहीं दे पाया जिससे उक्त राशि 11270 रूपये को संदिग्ध मानते हुऐ वजह सबूत जब्त की गई। फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 24.01.2024 को समय करीब 12.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता को उसकी आवाज का नमूना चाहने हेतु पृथक से तहरीर दी गई तो आरोपी द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने हेतु अंकित किया गया जिस पर उक्त पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 12.50 ए.एम. पर श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता को जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के राजकीय चिकित्सालय प्रतापगढ से आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर जरिये तहरीर देकर रवाना किया गया। इसके पश्चात् समय करीब 02.30 ए.एम. पर श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के साथ आरोपी श्री आशुतोष सुथार

कनिष्ठ अभियन्ता का राजकीय चिकित्सालय प्रतापगढ़ मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ़ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ मे उपस्थित आये। उक्त दोनो तहरीर को शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 09.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा श्री मुनीर मोहम्मद, ए.एस.आई एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0 को जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय चालक के आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता को पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ़ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर लाने हेतु रवाना किया गया। इसके उपरान्त समय करीब 09.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री उदयपाल सिंह मय जाते को हमराह ले घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु जरिये सरकारी वाहन टवेरा के राजकीय प्राथमिक विधालय नम्बर 3 नगर पालिका प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुआ। इसके उपरान्त समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री उदयपाल सिंह की निशांदेही से घटनास्थल एवं नक्शा राजकीय प्राथमिक विधालय नम्बर 3 नगर पालिका प्रतापगढ़ का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द घटनास्थल एवं मौके के हालात इस प्रकार है कि घटनास्थल निरीक्षण के दौरान घटना के दौरान परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत राशि का लेन-देन ग् स्थान पर होने के उपरान्त परिवादी द्वारा पूर्व निर्धारित ईशारा विधालय परिसर में आरोपी की निजी स्विफ्ट डिजायर कार के बाहर निकलकर। स्थान पर विधालय परिसर में खडा होकर किया जिसे ट्रेप पार्टी के सदस्य D स्थान वह स्थान है जहां पर आम रास्ता/सडक निकली हुई है जो घटनास्थल के सामने स्थित है को दर्शाया गया है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान अपनी-अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारें का इन्तजार कर रहे तथा सरकारी उक्त दोनो वाहनों को साईड में सडक पर खडा किया गया। स्थान वह स्थान है जहां श्री ओमप्रकाश ए.एस.आई. को आटा चक्की दुकान के सामने अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए निर्धारित ईशारें का इन्तजार कर रहा एवं परिवादी के निर्धारित ईशारा देखा था जो करीब परिवादी एवं। स्थान के मध्य की दूरी करीब 36 कदम की थी। J स्थान वह स्थान है जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान अनाज दुकानों के सामने अपनी-अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारें का इन्तजार कर रहे तथा निर्धारित ईशारा देखा था जो करीब परिवादी एवं J .स्थान के मध्य की दूरी करीब 30 कदम की थी। K स्थान वह स्थान है जहां पर ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री दलपत सिंह ए.एस.आई., श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 व खालिद हुसैन हैड कानि0 उत्तर दिशा में स्थित दुकानों के सामने खडे थे जो परिवादी के निर्धारित ईशारें का इन्तजार कर रहे थे एवं निर्धारित ईशारें को देखा था जो जो करीब परिवादी एवं K .स्थान के मध्य की दूरी करीब 22 कदम की थी। L स्थान वह स्थान है जहां पर ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं कानि0 श्री सुनिल कुमार अपनी उपस्थिति विधालय के बाहर आम रास्ते/सडक पर खडे होकर छूपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारें को देखा था जो करीब परिवादी एवं L .स्थान के मध्य की दूरी करीब 35 कदम की थी। M स्थान वह स्थान है जहां पर सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 8792 मय चालक श्री धनराज मीणा गाडी को विधालय की तरफ आम रास्ते/सडक पर साईड में खडी कर गाडी में बैठा हुआ जो कि निर्धारित ईशारें का इन्तजार कर रहा था जो करीब परिवादी एवं M.स्थान के मध्य की दूरी करीब 45 कदम की थी। N स्थान वह स्थान है जहां पर सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 8592 मय चालक श्री शेर सिंह गाडी को विधालय के सामने की तरफ आम रास्ते/सडक पर साईड में खडी कर गाडी में बैठा हुआ जो कि निर्धारित ईशारें का इन्तजार कर रहा था जो करीब परिवादी एवं N .स्थान के मध्य की दूरी करीब 50 कदम की थी। उपरोक्त सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण परिवादी के निर्धारित ईशारा विधालय परिसर किया गया जहां परिवादी खडा था जो सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यों को दिखाई दे रहा था। ट्रेप पार्टी सदस्यों एवं परिवादी के मध्य एक दुसरे से दूरी करीब 50 कदम पर होने से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाद घटनास्थल नक्शा मौका के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री उदयपाल सिंह की निशांदेही से राजकीय प्राथमिक विधालय नम्बर 3 नगर पालिका प्रतापगढ़ से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुआ।इसके बाद समय करीब 10.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचा। तत्पश्चात् समय करीब 10.32 ए.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद, ए.एस.आई एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0 को जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय चालक के आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता को पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ़ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित आये। इसके उपरान्त समय करीब 10.35 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू को आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध मे पूछताछ कर पृथक से पूछताछ नोट तैयार कर पूछताछ नोट पर श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पूछताछ नोट को शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता ने दौरान पूछताछ स्वैच्छा से बताया कि मैंने 50000/- रूपये की रिश्वत राशि रनिंग बिलो का भुगतान करने की एवज में श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया से स्वयं के लिये थे जो मेरे घर पर किसी गुप्त स्थान पर रखे हुए जो मुझे अभी पुरा याद नहीं है, मैं चल कर घर पर ढूंढवा सकता हूं। इसके बाद समय करीब 11.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू को आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दौराने पूछताछ मांग सत्यापन प्राप्त किए 50000/- रुपये की रिश्वत राशि को अपने घर पर किसी गुप्त स्थान से बरामद कराने हेतु कहने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनों स्वतन्त्र गवाह, आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता मय जाप्ते को हमराह ले आरोपी के रिहायशी आवास पर जाने हेतु जरिये सरकारी वाहन रवाना हुआ। तत्पश्चात् समय करीब 11.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू को आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दौराने पूछताछ मांग सत्यापन प्राप्त किए 50000/- रुपये की रिश्वत राशि को अपने घर पर किसी गुप्त स्थान से बरामद कराने हेतु कहने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनों स्वतन्त्र गवाह, आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता मय जाप्ते को हमराह ले आरोपी के रिहायशी आवास पर जाने हेतु जरिये सरकारी वाहन रवाना हुआ। इसके उपरान्त समय करीब 11.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता के रिहायशी आवास पर पहुंचा जहां पर आरोपी अपने बताये अनुसार दौराने मांग सत्यापन प्राप्त किए 50000/- रुपये की रिश्वत राशि बरामद नहीं करवा सका। आरोपी गुमराह करने का प्रयास कर रहा है एवं पूर्व में प्राप्त की गई रिश्वत राशि बरामद नहीं करवाना चाह रहा है। उक्त राशि बरामद करने हेतु आरोपी का माननीय न्यायालय से पी0सी0 रिमाण्ड प्राप्त किया जावेगा। इसके बाद समय करीब 11.55 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनों स्वतन्त्र गवाह, आरोपी श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता मय जाप्ते के आरोपी के रिहायशी आवास से जरिये सरकारी वाहन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ के लिए रवाना होकर समय करीब 12.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ पहुंचा। तत्पश्चात् समय करीब 03.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मुनीर मोहम्मद ए.एस.आई, श्री सूरजमल कानि0 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री सुर्यकान्त सैनी एवं श्री भरत कुमार भाटी मय गिरफ्तार शुदा श्री आशुतोष सुथार कनिष्ठ अभियन्ता को मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 के वास्ते पी.सी. रिमाण्ड पर पेश करने मय केस डायरी के माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयुपर के लिये रवाना किया। दौराने ट्रेप कार्यवाही के दौराने मौके पर आरोपी से पूछताछ के स्पष्टीकरण की रिकॉर्डिंग की जाकर ऑडियो फाईल भी तैयार की गई थी जिसे भी वजह सबूत शामिल कार्यवाही किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन-देन वार्ताओं से यह पाया गया है कि आरोपी श्री आशुतोष सुथार पुत्र श्री रमेश चन्द्र सुथार जाति खाती उम्र 48 साल निवासी ग्राम बारावरदा पुलिस थाना धमोत्तर तहसील व जिला प्रतापगढ़ हाल निवास स्थान मकान नम्बर डी.-04, जवाहर नगर (अशोक नगर) राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के सामने प्रतापगढ़ हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ़ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया से दिनांक 05.12.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के वक्त परिवादी से उसकी फर्म बाणेश्वरी कन्स्ट्रक्शन के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय हिंगलाट ब्लॉक अरनोद जिला प्रतापगढ़ करवाये गये कार्य के रनिंग बिलों के भुगतान करने की एवज में 57000/- रुपये की रिश्वत राशि की मांगकर 50000 रुपये की रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त किये थे एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी की फर्म के बिल की राशि पर 1.5 प्रतिशत राशि एवं आरोपी के जयपुर आने-जाने के खर्च सहित 1,30,000/- रुपये की राशि परिवादी श्री उदयपाल सिंह सिसोदिया से दिनांक 23.01.2024 को रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपी श्री आशुतोष सुथार, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है जो कि दण्डनीय अपराध है। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री आशुतोष सुथार, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.12.2023 के अनुसार आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि में से कुछ हिस्सा उच्चाधिकारियों को देने हेतु प्राप्त किया था जिसमें कुछ हिस्सा विभाग के जयपुर स्थित कार्यालय केश्री प्रेमाम्बु सहायक अभियन्ता एवं प्रतापगढ़ स्थित कार्यालय के श्री ब्रजकिषोर वर्मा सहायक अभियन्ता को दिया जाना था। उक्त तथ्यों बाबत पृथक से दौराने अनुसंधान विस्तृत अनुसंधान किया जावेगा। दौराने कार्यवाही आरोपी के जयपुर स्थित कार्यालय के श्री प्रेमाम्बु सहायक अभियन्ता को कॉल किये जाने पर कॉल को रिसीव नहीं किया गया तथा आरोपी के प्रतापगढ़ कार्यालय के श्री ब्रजकिषोर वर्मा सहायक अभियन्ता को कॉल लगाया गया तो उनका फोन स्वीच ऑफ होना पाया गया तथा उनके निवास पर पता करवाया गया तो लॉक लगाकर कहीं जाना हुआ पाया गया जिससे उनका यह कृत्य संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त तथ्यों बाबत पृथक से दौराने अनुसंधान विस्तृत अनुसंधान किया जावेगा। अतः आरोपी श्री आशुतोष सुथार पुत्र श्री रमेश चन्द्र सुथार जाति खाती उम्र 48 साल निवासी ग्राम बारावरदा पुलिस थाना धमोत्तर तहसील व जिला प्रतापगढ़ हाल निवास स्थान मकान नम्बर डी.-04, जवाहर नगर (अशोक नगर) राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के सामने प्रतापगढ़ हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक

शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है।(कैलाश सिंह सांदू)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोचित्तौड़गढ-- कार्यवाही-- पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आशुतोष सुथार पुत्र श्री रमेश चन्द्र सुथार हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.), समग्र शिक्षा अभियान अरनोद जिला प्रतापगढ के विरुद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को सुपुर्द कर प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा रिपोर्ट 391 दिनांक 25.1.2024 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांक:-69-72 दिनांक:-25.1.2024 प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 उदयपुर।2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला प्रतापगढ।3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Vikram Singh Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): Rathore (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	13/06/1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)